

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या - 15/औ०-11-01/2024 -..... पटना, दिनांक -.....2026

बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-612(15), दिनांक-12.08.2024 द्वारा बिहार औषधि नियंत्रण सवर्ग के अधीन कुल-52 नवनियुक्त औषधि निरीक्षको को राज्यातर्गत विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है। इनमें से दो औषधि निरीक्षक योगदान नहीं किये एवं एक का त्याग पत्र स्वीकृत किया गया है, शेष 49 वर्तमान में कार्यरत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3454, दिनांक-28.02.2024 के अनुसार आयोग द्वारा चयनित सभी सेवा/सवर्गों के कर्मियों (बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर) के लिए एक वर्ष के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को चार चरणों में विभक्त किया गया है।

2 उक्त नवनियुक्त/परिवीक्षाधीन औषधि निरीक्षको को प्रथम चरण का प्रशिक्षण बिपार्ड के द्वारा दिनांक-25.02.2025 से 25.04.2025 तक दिया गया है एवं द्वितीय चरण का प्रशिक्षण फील्ड प्रशिक्षण है, जो सभी नवनियुक्त औषधि निरीक्षको द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। तृतीय चरण का प्रशिक्षण का कार्यक्रम विभाग द्वारा निम्नतर निर्धारित किया गया है-

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 प्रयोगशाला प्रशिक्षण | -12 दिन |
| 2 लेखा प्रशिक्षण | -12 दिन सबधित जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में। |
| 3 कोषागार प्रशिक्षण | -01 माह सबधित जिले के कोषागार में |
| 4 पुलिस प्रशिक्षण | -12 दिन सबधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। |
| 5. विधिक/न्यायिक प्रशिक्षण | -14 दिन सबधित जिले के अभियोजन पदाधिकारी कार्यालय में। |

3 उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम प्रयोगशाला प्रशिक्षण दिया जाना है। इस सबध में बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना की क्षमता एवं कार्यहित के माददेनजर विभिन्न जिलों में कार्यरत कुल-49 नवनियुक्त औषधि निरीक्षको को दो बैच में प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में सलग्न सूची 'A' में अंकित औषधि निरीक्षको को दिनांक-20.08.2026 से 03.09.2026 तक (कुल-12 कार्य दिवस) प्रयोगशाला प्रशिक्षण हेतु बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उक्त सूची के क्रम संख्या-6 पर अंकित श्रीमती हर्षिता हर्ष, औषधि निरीक्षक, बक्सर-03 प्रथम प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो सके। तदालोक में द्वितीय चरण में सलग्न सूची 'B' में अंकित औषधि निरीक्षको को दिनांक-28.09.2026 से 12.10.2026 तक (कुल-12 कार्य दिवस) प्रयोगशाला प्रशिक्षण हेतु बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना में ससमय भाग लेने हेतु निदेशित किया जाता है। साथ ही जिन औषधि निरीक्षको का दिनांक-03.09.2026 को प्रयोगशाला प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है, वे अपने पदस्थापन जिलातर्गत जिला पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर एक (01) माह का कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

4 प्रयोगशाला प्रशिक्षण के सबध में निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) से सबधित प्रतिवेदन की छायाप्रति सलग्न करते हुए प्रभारी पदाधिकारी, बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल संचालन/क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करेंगे।

5 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक : 15/औ०-11-01/2024.....1054(ISA) पटना/दिनांक : 22/09/2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि नवनियुक्त औषधि निरीक्षकों को कोषागार प्रशिक्षण के सबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

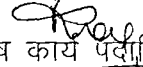
प्रतिलिपि : संबंधित सिविल सर्जन को निदेशित है कि सलग्न सूची 'B' में अंकित नवनियुक्त/परीक्ष्यमान औषधि निरीक्षकों को उक्त निर्धारित प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने हेतु बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना के परिसर में योगदान करने हेतु विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक-सह-नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संबंधित उप औषधि नियंत्रक को निदेशित है कि प्रशिक्षण अवधि तक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अपने क्षेत्रांतर्गत पदस्थापित अन्य औषधि निरीक्षकों से प्रशिक्षण हेतु विरमित औषधि निरीक्षकों के क्षेत्र का कार्य लेना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : सभी राहायक औषधि नियंत्रक/औषधि निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 विशेष कार्य पदाधिकारी,
 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
 22/